"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016— श्रावण 14, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-2/तीन (दो)/ न.पा. /समय कार्यक्रम/2016/921, दिनांक 05-07-2016 द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निम्न तालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 20 अगस्त, 2016, दिन शनिवार को मतदान संपन्न कराया जायेगा :-

उप निर्वाचन -2016

क्र.	जिला	नगरपालिका का नाम	वार्ड क्रमांक
1.	बलरामपुर	नगर पंचायत वाड्रफनगर	11
2.	गरियाबंद	नगर पंचायत फिंगेश्वर	1, 2 एवं 15
3.	दुर्ग	नगर पंचायत धमधा	11
4.	बालोद	नगर पंचायत चिखलाकसा	1, 14 एवं 15
5.	बेमेतरा	नगर पंचायत थानखम्हरिया	7
6.	बस्तर	नगर पालिक निगम जगदलपुर	11
7.	कांकेर	नगर पंचायत चारामा	5

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त तालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 20 अगस्त, 2016, दिन शनिवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा, उपरोक्तानुसार नगरपालिकाओं के उप निर्वाचन हेतु यह भी घोषित करता है कि, उक्त तालिका में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 20 अगस्त, 2016, दिन शनिवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.